न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगढ, जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी	**:-**	**नवीन सिंह गुर्जर, आर.जे.एस.**
मूल फौजदारी प्रकरण	**:-**	**290/2014**
एफआईआर सं०	**:-**	**346/2013 पुलिस थाना रामगढ़, अलवर**
सीआईएस नं०	**:-**	**290/2014**
सीएनआर नं०	**:-**	**RJAL290001652014**

राजस्थान सरकार ....**अभियोजन**	**बनाम**	1.ओमप्रकाश पुत्र श्री रामजीलाल, उम्र 40 साल, निवासी आशासिंह कॉलोनी, थाना रामगढ़, जिला अलवर, राज० 2. कासिद उर्फ कासिम पुत्र श्री हनीफ **(मफरूर)** .....**अभियुक्तगण**

अपराध अंतर्गत धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थितिः-

1. सहायक अभियोजन अधिकारी राजस्थान सरकार की ओर से।
2. अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अविनाश शर्मा।

क्रं०सं०	**विवरण**	**दिनांक**
1	अपराध की तिथि	07-08-2013
2	प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	07-08-2013
3	चालान पेश करने की तिथि	20-01-2014
4	आरोप विरचित करने की तिथि	10-11-2016
5	साक्ष्य आरंभ करने की तिथि	17-02-2025
6	बयान मुलजिम लिये जाने की तिथि	06-03-2026
7	बहस अंतिम सुनी जाने की तिथि	17-04-2026
8	निर्णय की तिथि	17-04-2026

निर्णय **दिनांकः- 17-04-2026**

1. हस्तगत प्रकरण का उद्भव परिवादी पी०ड०6 शोभाराम द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी०5 के आधार पर पुलिस थाना रामगढ़ पर पंजीबद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 346/2013 में अनुसंधान उपरांत प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 379 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध का प्रसंज्ञान लिए जाने से हुआ है।

2. तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी०5 के अनुसार उक्त प्रकरण के संक्षेपिततः तथ्य यह है कि घटना दिनांक 07-08-2013 की गयी रात की है कि समय करीबन 1 बजे प्रार्थी के घर पर खड़े ट्रेक्टर महेंद्रा 575 रजिस्ट्रेशन आरजे 02 आरए 7312 को चोरी की नियत से चुरा कर ले जा रहे थे। पता लगने पर पुलिस तथा प्रार्थी व अन्य आठ-दस व्यक्तियों ने रामगढ़ गोविंदगढ़ मोड़ के पास ट्रैक्टर चोर एक व्यक्ति को पकड़ लिया। शेष लोग जो सफेद रंग की गाड़ी में आये थे। उसी में

भाग गये। काफी दूरी तक पीछा किया था। उनमें करीबन 8-10 चोर थे, जो अंधेरे में मौके का फायदा उठाकर भाग गये। जब वे पीछा कर रहे थे तो उन चोरों ने प्रार्थीयान व उसके साथियों पर गोली चलायी, जिनसे प्रार्थी बाल-बाल बचा.....आदि। उपरोक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 346/2013 पुलिस थाना रामगढ़ में दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रांरभ किया गया एवं बाद अनुसंधान पुलिस ने अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 379 भा०द०सं० 1860 के तहत आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया। जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 379 भा०द०सं० 1860 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त कासिद उर्फ कासिम पुत्र श्री हनीफ के लगातार अनुपस्थित रहने से एवं पर्याप्त प्रयासों के बाद उसकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो पाने से उसे नियमानुसार मफरूर घोषित किया गया है। अतः उक्त निर्णय शेष अभियुक्त ओमप्रकाश पुत्र श्री रामजीलाल के संबंध में नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जाकर पारित किया जा रहा है।

4. अभियुक्त ओमप्रकाश को धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दंडनीय अपराध का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, जिसे सुन समझकर अभियुक्त द्वारा अपराध अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही गयी।

5. अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित करने हेतु मौखिक साक्ष्य में निम्न गवाहों को परीक्षित करवाया गयाः-

क्रं०सं०	पी०ड०	नाम	दिनांक
1	पी०ड० 1	सुरेश कुमार शर्मा पुत्र श्री शिवलाल	18-03-2025
2	पी०ड० 2	पूरण पुत्र श्री बुल्याराम	18-03-2025
3	पी०ड० 3	अमर सिंह पुत्र श्री जोरावर	18-03-2025
4	पी०ड० 4	जगदीश पुत्र श्री देवीसिंह	18-03-2025
5	पी०ड० 5	शिवराम पुत्र श्री जगदीश	18-03-2025
6	पी०ड० 6	शोभाराम पुत्र श्री देवीसिंह	26-03-2025
7	पी०ड० 7	चंद्रपाल सिंह पुत्र श्री राजबीर सिंह	04-04-2025
8	पी०ड० 8	पाबूदान पुत्र श्री दलीप सिंह	19-08-2025

तथा प्रलेखीय साक्ष्य में निम्न दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित करवाये गयेः-

क्रं०सं०	प्रदर्श	नाम	दिनांक
1	प्रदर्श पी० 1	बरामदगी ट्रैक्टर बिना नंबरी	07-08-2013
2	प्रदर्श पी० 2	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम कासिम	07-08-2013
3	प्रदर्श पी० 3	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम ओमप्रकाश	07-08-2013
4	प्रदर्श पी० 4	निशांदेही घटनास्थल मुताबिक इत्तिला	11-08-2013
5	प्रदर्श पी० 5	तहरीरी रिपोर्ट	07-08-2013
6	प्रदर्श पी० 5 ए	नक्शामौका घटनास्थल	07-08-2013
7	प्रदर्श पी० 6	फर्द इत्तिला अभियुक्त कासिद	11-08-2013

8	प्रदर्श पी० 7	फर्द इत्तिला अभियुक्त ओमप्रकाश	11-08-2013
9	प्रदर्श पी० 8	फर्द इत्तिला अभियुक्त ओमप्रकाश	12-08-2013
10	प्रदर्श पी० 9	सजायाबी रिकॉर्ड अभियुक्त कासिद	09-08-2013
11	प्रदर्श पी० 10	आपराधिक रिकॉर्ड अभियुक्त कासिद	09-08-2013

नोटः- प्रकरण में प्रदर्श पी० 5 की दो बार पुनरावृत्ति होने के कारण उपरोक्त को सुविधा की दृष्टि से उपरोक्त सारणीनुसार पढ़ा जा रहा है।

6. साक्ष्य अभियोजन के उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध पत्रावली पर आई साक्ष्य के संदर्भ में अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता किया गया। जिस पर अभियुक्त ने उसके विरुद्ध आई साक्ष्य को गलत बताते हुए कथन किया कि वह निर्दोष है और उसे झूंठा फंसाया गया है एवं प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया, जिस पर साक्ष्य प्रतिरक्षा बंद की गई।

7. बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग को समस्त युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है। अंत में अभियुक्त को धारा 379 भा०दं०सं० के अपराध के लिए दोषसिद्ध घोषित किए जाने का निवेदन किया।

8. बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अभियोजन अधिकारी के तर्कों का कड़ा विरोध करते हुए कथन किया गया कि अभियोजन साक्षियों के कथनों में घोर विरोधाभाष है, जिससे अभियोजन कहानी की ताईद नहीं होती है। गवाहान के कथनों में परस्पर विरोधाभाष है। प्रकरण में कोई चक्षुदर्शी गवाह भी नहीं है। प्रकरण में किसी प्रकार की कोई जब्ती भी अभियुक्त से होना प्रमाणित नहीं किया गया है। प्रकरण में ऐसा कोई सुदृढ़ तथ्य सामने नहीं आया है, जिससे यह साबित हो सके कि अभियुक्त द्वारा प्रश्नगत चोरी की गयी थी। प्रकरण में अभियुक्त ओमप्रकाश को मात्र अभियुक्त कासिद के कथनों के आधार पर संलिप्त किया गया है, प्रकरण में अभियुक्त ओमप्रकाश से किसी प्रकार का कोई माल वजह सबूत बरामद नहीं हुआ है। पूर्ण पत्रावली पर अभियुक्त ओमप्रकाश के संदर्भ में मात्रभर भी दोषसिद्धी योग्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अंत में अभियुक्त को धारा 379 भा०दं०सं० के अपराध से दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया गया।

9. उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। संपूर्ण पत्रावली एवं संबधित विधि का परिशीलन किया गया। प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, उभयपक्षों के तर्को एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त सामग्री के आधार पर प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय द्वारा विचारणीय बिन्दु यह है किः-

- क्या अभियुक्त ओमप्रकाश ने दिनांक 07-08-2013 को रात्रि में किसी समय दिल्ली रोड़ रामगढ़ में सहअभियुक्त के साथ मिलकर परिवादी के कब्जेशुदा ट्रैक्टर आरजे 02 आरए 7312 को उसके घर के सामने से उसकी सहमति के बिना उसके कब्जे से बेईमानी पूर्वक आशय से चुरा ले जाकर चोरी कारित करी ?

विचारणीय बिंदु का विनिश्चयः-

10. उक्त विचारणीय बिंदु अभियोजन पक्ष के विरूद्ध विनिश्चित किया जाता है।

विनिश्चय का कारणः-

11. उपरोक्त विचारणीय बिंदु के क्रम में पत्रावली का अवलोकन करने से न्यायालय के समक्ष आता है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाहों में अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को

प्रमाणित करने हेतु सबसे अहम गवाह पी०ड० 1, पी०ड० 2, पी०ड० 3, पी०ड० 4, पी०ड० 5, पी०ड० 6 पेश कर परीक्षित कराये गये है।

12. सर्वप्रथम प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण गवाह पी०ड० 6 जो कि स्वयं प्रकरण का परिवादी है के कथनों का अवलोकन करने से न्यायालय के समक्ष आता है कि उक्त गवाह द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में जाहिर किया गया है कि सन 2013 की बात है। उसका दिल्ली रोड पर मकान है। उस रोज रात के समय वे सो रहे थे तो उनका टैक्टर चालू होने की आवाज आई। उनके साथ एक दो डाइवर थे और एक सफेद बोलेरो गाडी थी। उसने सोचा कि उसके बडे भाई का लडका टैक्टर ले गया होगा। लेकिन वह तो सो रहा था। फिर उसने टैक्टर तलाश की तो टैक्टर को गोविंदगढ मोड पर शिवराम, उसने व जगदीश ने टैक्टर सहित टैक्टर चालक को पकड लिया था। उसने टैक्टर चालक का नाम पता पूछा तो टैक्टर चालक का नाम कासिद और ओमप्रकाश बताया। बोलेरो गाडी भाग गई थी जिसमें भी काफी लोग थे। उसके बाद उसने रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसी रोज पुलिस ने उसके सामने नक्शामौका बनाया था जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। टैक्टर का नंबर 7312 व रंग लाल व महिन्द्रा का था। उनके सामने पुलिस ने कासिद को गिरफतार कर लिया था। फर्द गिरफतारी व जामा तलाशी कासिद प्र0 पी 02 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। फर्द टैक्टर बरामदगी महेन्द्रा डीआई प्र0 पी 01 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। तहरीरी रिपोर्ट प्रे0 पी 05 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

13. इसके अतिरिक्त प्रतिरीक्षण में गवाह ने स्वीकार किया है कि उसे घटना की तारीख व महीना याद नहीं है। आगे गवाह ने जाहिर किया कि 12-1 बजे की बात रही होगी। आगे गवाह ने स्वीकार किया है कि उसने ट्रेक्टर चोरी होते हुए अपनी आंखों से देखा था। आगे गवाह ने जाहिर किया है कि ट्रेक्टर को चोरी करके आसिफ ले जा रहा था, टैक्टर को आसिफ ही चला रहा था। आगे जाहिर किया कि टैक्टर पर और कोई नहीं था, बाकि लोग बोलेरो में थे। आगे गवाह ने स्वीकार किया है कि जो लोग बोलेरो में थे, उनका नाम वह नहीं जानता है व पहचानता है। आगे गवाह ने स्वीकार किया है कि ट्रैक्टर चोर आसिफ को उन्होंने पुलिस को पकड़कर वहीं सुपुर्द कर दिया था। इसके अलावा मौके पर और कोई चोर नहीं होना गवाह ने जाहिर किया है। आगे गवाह ने जाहिर किया कि थाने पर किसने रिपोर्ट लिखी, आज उसे ध्यान नहीं है। आगे गवाह ने स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे, लिखा पढ़ी थाने में बैठकर बाद में की थी।

14. उपरोक्त साक्षी के कथनों से जो स्थिति न्यायालय के समक्ष आती है, वह इस प्रकार है कि सर्वप्रथम तो परिवादी द्वारा अपनी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी० 5 एवं अपने पुलिस बयानों से पूर्ण रूप से भिन्न कथन न्यायालय के समक्ष किये गये हैं। गवाह द्वारा मौके पर चालक से नाम पता पूछने का उनके द्वारा अपना नाम कासिद व ओमप्रकाश होना बताया गया है, परंतु उल्लेखनीय है कि मौके पर ओमप्रकाश को गिरफ्तार नहीं किया गया है और ना ही अभियोजन कहानीनुसार मौके पर अभियुक्त ओमप्रकाश पकड़ा गया। इसके अतिरिक्त उल्लेखनीय है कि प्रतिपरीक्षण में गवाह द्वारा ट्रैक्टर ले जाने वाले व्यक्ति का नाम जिसको उसने अपनी आंखों से देखा था, आसिफ बताया है और आसिफ के द्वारा ही ट्रेक्टर चलाया जाना एवं अन्य लोग बोलेरो में होना जाहिर किया गया है। गवाह द्वारा ट्रेक्टर चोर आसिफ को पकड़कर पुलिस को सुपुर्द कर देने का तथा मौके पर अन्य कोई चोर उपस्थित नहीं होने का कथन भी न्यायालय के समक्ष किया गया है।

उक्त संदर्भ में उल्लेखनीय है कि प्रकरण में आसिफ नाम का कोई अभियुक्त नहीं बनाया गया है और गवाह के उक्त कथनों से उसके स्वयं के मुख्य परीक्षण की विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न होता है, क्योंकि मुख्य परीक्षण में गवाह द्वारा मौके पर कासिद व ओमप्रकाश होना बताया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त साक्षी द्वारा थाने पर रिपोर्ट किसने दी, याद नहीं होना जाहिर कर प्रकरण में दर्ज करायी गयी एफआईआर तक पर प्रश्नचिन्ह उत्पन्न कर दिया है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि गवाह ने पुलिस द्वारा उसको खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाकर लिखापढ़ी थाने पर बैठकर करना भी जाहिर किया है, जो न्यायालय के मत में अभियोजन मामले पर प्रतिकूल प्रभाव डालने तथा प्रकरण में हुए अनुसंधान को दूषित प्रकट करने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि उक्त साक्षी अभियोजन का सबसे अहम साक्षी है, जिसके द्वारा अभियोजन मामले की मात्रभर भी ताईद ना कर उस पर गंभीर संदेह उत्पन्न कर दिया है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में परिवादी द्वारा प्रश्नगत वाहन के असल दस्तावेजात पर पेश कर प्रमाणित नहीं कराये गये हैं, जिससे उसका वाहन स्वामी होना एवं प्रश्नगत ट्रेक्टर उसके कब्जे में बरवक्त घटना होना, प्रमाणित होना कतई संभव नहीं है। ऐसे में न्यायालय के समक्ष आता है कि प्रकरण के सबसे अहम साक्षी के कथनों में गंभीर कमियां प्रकट हुई हैं, जिनका कोई स्पष्टीकरण न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है, जिसके चलते अभियोजन मामला युक्तियुक्त संदेह से परे मात्र परिवादी के कथनों के आधार पर प्रमाणित होना कतई संभव नहीं है।

15. प्रकरण के परिवादी के अतिरिक्त जो अन्य साक्षी अभियोजन मामले की ताईद हेतु अभियोजन की ओर से पेश कर परीक्षित कराये गये है, वह गवाह पी०ड० 1, पी०ड० 2, पी०ड० 3, पी०ड० 4, पी०ड० 5 है, जो समस्त बतौर चक्षुदर्शी साक्षी पेश कर परीक्षित कराये गये हैं।

16. सर्वप्रथम गवाह पी०ड० 1 द्वारा न्यायालय के समक्ष किये गये कथनों के अवलोकन से प्रकट होता है कि गवाह ने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि सन 2013 की बात है। उस रोज वह रात को 12 बजे के करीब गाडी लेकर अलवर से रामगढ आ रहा था। उसके साथ पूरण गुर्जर भी था। उसने देखा कि दो तीन व्यक्ति जगदीश गुर्जर के मकान के पास से शोभाराम गुर्जर के टैक्टर को भगा कर ले जा रहे थे। वो टैक्टर को स्टेशन के तरफ ले कर भागे थे। बाद में पता चला कि टैक्टर भगाने वाले कासिम और ओमप्रकाश थे। टैक्टर का नंबर आरजे 02 आरए 7312 महिन्द्रा लाल रंग का था। इसके अतिरिक्त प्रतिपरीक्षण में गवाह ने स्वीकार किया है कि पूरण गुर्जर उसके साथ टाटा सूमो गाड़ी में था। गाड़ी को वह चला रहा था। घटना करीब रात 12 बजे की है। उक्त पत्रावली में चोरी की घटना का सुबह मालूम चला था। आगे गवाह ने स्वीकार किया है कि उस गाड़ी में कौन कौन लोग मौजूद थे, इसकी जानकारी उसे नहीं है। चोरी के बारे में उसे सुबह बताने पर मालूम चला था। उसने कोई चोरी होते हुए नहीं देखी।

17. गवाह पी०ड० 1 के अनुसार उसके साथ टाटा सूमो गाड़ी में सवार अन्य साक्षी गवाह पी०ड० 2 द्वारा न्यायालय के समक्ष किये गये कथनों के अवलोकन से प्रकट होता है कि गवाह ने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि सन 2013 की बात है। उस रोज वह और सुरेश रात को 12 बजे के करीब गाडी लेकर अलवर से रामगढ आ रहा था। बोलेरो गाडी वाले जो हरियाणा के मूर्ति वाले के यहां रूके थे। उन्हें देखकर भाग गये थे। बाद में उन्हें पता चला कि वो शोभाराम का टैक्टर चोरी करके ले कर गये थे। टैक्टर का नंबर 7312 था। टैक्टर चोरी करने वालो का नाम कासिद वगैरह था। इसके अतिरिक्त प्रतिपरीक्षण में गवाह ने जाहिर किया है कि वह स्विफट गाडी

लेकर अलवर से रामगढ आ रहा था। वह स्विफट गाडी लेकर रामगढ स्टेशन से अपने घर रामगढ जा रहे थे। यह करीब रात 12-12.30 बजे की बात है। उसने चोरी होता हुआ कोई सामान नही देखा। उसने भागते हुए तीन आदमियों को देखा था। आज उसे याद नही है कि वो लोग किस तरफ भाग रहे थे। यह कहना सही है कि टैक्टर चोरी की बात उसे सुबह पता चली थी। बोलेरो गाडी का नंबर आज उसे याद नही है। स्विफट गाडी का नंबर भी आज उसे याद नही है। वो तीन लोग बोलेरो गाडी को छोडकर भाग रहे थे। अजखुद कहा कि एक उस गाडी में बैठा था दो भाग रहे थे। उसने उनका थोडी दूर तक ही पीछा किया लेकिन वो लोग पकड में नही आये। बाद में उसे सुबह पता चला कि कुछ लोग हरियाणा के थे व कुछ लोग रामगढ के थे। यह कहना गलत है कि आज वह न्यायालय में झूठे बयान दे रहा हूं।

18. उपरोक्त दोनों चक्षुदर्शी साक्षियों के कथनों से न्यायालय के समक्ष जो स्थिति आती है, वह यह है कि दोनों गवाहान द्वारा अभियोजन मामले व पुलिस बयानों से भिन्न कथन न्यायालय के समक्ष किये गये हैं तथा एक-दूसरे से पूर्ण रूप से विरोधाभासी एवं खण्डात्मक कथन भी किये गये हैं। जैसे कि गवाह पी०ड०1 द्वारा उसका व गवाह पी०ड०2 का टाटा सूमो में होना जाहिर किया गया है, जबकि गवाह पी०ड०2 द्वारा इससे भिन्न स्विफ्ट गाड़ी में होना जाहिर किया गया है। दोनों ही गवाहान द्वारा प्रतिपरीक्षण में उन्हें चोरी के बारे में सुबह पता चलना भी जाहिर किया गया है, परंतु फिर भिन्न-भिन्न स्थान पर घटना संबंधी कथन भी किये गये है, जो स्वयं गवाह के मुख्य परीक्षण व प्रतिपरीक्षण में विरोधाभास प्रकट करने व एक-दूसरे के बयानों का खण्डन करने के लिए पर्याप्त है। यह भी उल्लेखनीय है कि दोनों ही साक्षियों द्वारा अभियुक्त ओमप्रकाश के संदर्भ में तथा मौके पर किसी अभियुक्त को पकड़े जाने के संदर्भ में मात्रभर भी कथन अपने मुख्य परीक्षण में नहीं किये है, जिससे भी उक्त साक्षीगण की साक्ष्य की विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न होना स्वाभाविक है। ऐसे में न्यायालय के मत में उक्त दोनों साक्षियों के कथनों से भी अभियोजन मामला प्रमाणित होना संभव नहीं है, खासकर तब जब स्वयं परिवादी की साक्ष्य अभियोजन मामले पर संदेह उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त हो।

19. प्रकरण के अन्य चक्षुदर्शी गवाह पी०ड०3 द्वारा न्यायालय के समक्ष किये गये कथनों के अवलोकन से प्रकट होता है कि गवाह ने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि करीब 2013 या 2014 की बात है। उस समय जगदीश गुर्जर का टेक्टर चोरी हो गया था। उस सयम रात को 12.30 बजे शोर हुआ तो उसने घर से निकल कर देखा तो उसने देखा जगदीश का टैक्टर चोरी हो गया था। दो आदमी थे। जो चोरी कर के लेकर जा रहे थे। तब गॉव के लड़के आ गये थे फिर वह टैक्टर को छोड़कर भाग गया था। फर्द जब्ती टैक्टर मंहिद्रा लाल रंग जो प्रदर्श पी 01 है जो पुलिस ने उसके सामने जब्त किया था जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। फर्द गिरफतारी व जामा तलाशी मुल्जिम कासीद प्रदर्श 02 व तीन है। प्रदर्श पी 02 पर ए से बी उसके हसताक्षर है। इसके अतिरिक्त प्रतिपरीक्षरण में गवाह ने जाहिर किया है कि उसे घटना की तारीख आज ध्यान नहीं है। अजखुद कहा की 17 या 18 है। घटना रात के 12 बजे के आस पास की है। वह उस सयम सो रहा था। हल्ला बाइपास के आसपास हुआ था। यह कहना सही है कि उसके सामने कोई टैक्टर नहीं लेकर गया। यह कहना भी सही है कि उसने किसी को टैक्टर ले जाते हुये भी नहीं देखा। जगदीश, शोभाराम, शिवलाल हल्ला मचाते हुये टैक्टर के पिछे पिछे जा रहे थे। कोई मोटरसाइकिल से तो कोई पैदल पिछे जा रहा था। यह सब रामगढ़ से अलवर की तरफ जा रहे

थे। गोविंदगढ़ मौड़ पर टैक्टर खड़ा थां। वहॉ पर जगदीश, सुरेश, शोभाराम वगै0 खड़े थे। पुलिस की गाड़ी भी वहॉ खड़ी थी। यह कहना सही है कि उसने पुलिस में कोई बयान नहीं हुये। नाही उसके सामने पुलिस ने कोई नक्शा मौका बनाया। उसके खाली कागजों पर साइन नहीं कराये बल्कि लिखे हुये कागज पर उसके साइन करवाये थे। यह कहना सही है कि फर्द गिरफतारी पर उसके साइन कराये थे। टैक्टर कोन चुरा कर ले जा रहा था उसने नहीं देखा।

20. प्रकरण का अन्य चक्षुदर्शी गवाह पी०ड० 4 द्वारा न्यायालय के समक्ष किये गये कथनों के अवलोकन से प्रकट होता है कि गवाह ने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि अगस्त 2013 की बात है। टैक्टर बरामदे में खड़ा था। गेट खुला अवाज आयी तो आसु ने और औमप्रकाश ने टैक्टर बाहर निकाल लिया था। उसने आगे से गोविंदगढ़ मौड़ पर टैक्टर पकड़ लिया था। मुल्जिमान को पकड़ कर उसने पुलिस को दे दिया। इसके अतिरिक्त प्रतिपरीक्षण में गवाह ने जाहिर किया है कि टैक्टर में दो आदमी बैठै थे। जिनमें से एक को मौके पर उसने पकड़ लिया था। उन्होंने गोविंदगढ़ मौड़ पर उसको पकड़ लिया था। यह कहना सही है उसके घर की दूरी गोविंदगढ मोड़ की दूरी 1/2 से 1 कि0मी0 है। घटना करीब रात के 2.45 एएम की है। वह घर से गोविंदगढ मौड़ पर मौटरसाइकिल लेकर गया। उसके पिछे शीवराम उसका बैटा बेठा था। टैक्टर से भागते हुये उसने औमप्रकाश को देखा था। रामगढ़ का होने के कारण उसको वह जानता पहचानता है। उसने गोविंदगढ़ मोड पर ही मुल्जिम पुलिस को दे दिया था। आसू पकड़ में आया था जिसको हमने पुलिस में दिया।

21. प्रकरण के अन्य गवाह पी०ड० 5 द्वारा न्यायालय के समक्ष किये गये कथनों के अवलोकन से प्रकट होता है कि गवाह ने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि अगस्त 2013 की बात है। टैक्टर बरामदे में खड़ा था। गेट खुला अवाज आयी तो आसु ने और औमप्रकाश ने टैक्टर बाहर निकाल लिया था। उसके छोटे भाई शोभाराम का टैक्टर चोरी कर लिया था। इसके अतिरिक्त प्रतिपरीक्षण में गवाह ने जाहिर किया है कि टैक्टर रात को 12 बजे के बाद में ही लेकर गये थे। जहा टैक्टर था वहा से वह 50 फुट की दूरी पर सौ रहा था। यह कहना सही है कि उसने टैक्टर को ले जाते हुए देखा है। 03 आदमी टैक्टर को ले जा रहे थे। एक चला रहा था दो उसके साथ बैठै थे।वो आपस में बातें कर रहे थे वाहीद व औमप्रकाश तेज भगा। टैक्टर को उन्होंने गोविंदगढ मोड पर पकड़ा था। वाहीद को उन्होंने तुरंत मौके पर पकड़ लिया बाकी भाग गये थे। वाहीद ने ही पुलिस को बताया की उसके साथ औमप्रकाश और दो तीन लोग थे। यह कहना सही है कि पुलिस ने उसके सामने नक्शा मौका बनाया था। नक्शा मौका घर से मोड़ तक बनाया था।

22. उपरोक्त दोनों साक्षियों के कथनों से जो स्थिति न्यायालय के समक्ष आती है, वह इस प्रकार है कि गवाह पी०ड० 3 द्वारा भी प्रतिपरीक्षण में घटना नहीं देखना जाहिर कर स्पष्ट रूप से उसका चक्षुदर्शी साक्षी नहीं होना जाहिर करते हुए मुख्य परीक्षण में रटी-रटायी बातों को बताया जाना प्रकट किया है। इसके अतिरिक्त गवाह द्वारा परिवादी पी०ड० 6 की तरह नक्शामौका व अपने पुलिस बयानों तक को नकारकर प्रकरण में हुआ अनुसंधान भी पूर्ण रूप से दूषित प्रकट कर दिया है। उपरोक्त के अतिरिक्त गवाह सं० पी०ड० 4 व पी०ड० 5 द्वारा मौके पर ट्रेक्टर व मुलजिम पकड़ लेने के संदर्भ में कथन न्यायालय के समक्ष किये हैं, परंतु उल्लेखनीय है कि दोनों साक्षियों ने एक-दूसरे से भिन्न कथन मुख्यतः किये हैं। गवाह पी०ड० 5 द्वारा वाहिद नाम के व्यक्ति को पकड़ना जाहिर किया गया है, जबकि गवाह पी०ड० 4 द्वारा आसु नाम के व्यक्ति को पकड़ना

जाहिर किया गया है तथा ओमप्रकाश का भाग जाना एवं गवाह द्वारा उसको पहचानने का कथन न्यायालय के समक्ष किया गया है। ऐसे में न्यायालय के समक्ष आता है कि दोनों ही साक्षियों द्वारा भिन्न-भिन्न व्यक्तियों का मौके पर पकड़ में आना अपने प्रतिपरीक्षण में जाहिर कर विरोधाभासी कथन न्यायालय के समक्ष किये गये हैं। इसके अतिरिक्त दोनों ही साक्षियों द्वारा अपने पुलिस बयानों से भी भिन्न कथन न्यायालय के समक्ष किये गये हैं, जो भी अभियोजन मामले को संदेह के घेरे में लाकर खड़ा करने के लिए पर्याप्त है। यह भी उल्लेखनीय है कि गवाह द्वारा अभियुक्तगण को मौके पर देखना जाहिर किया गया है एवं अभियोजन मामलेनुसार एक अभियुक्त मौके पर पकड़ा भी गया था, परंतु उक्त के उपरांत भी प्रकरण में किसी प्रकार की शिनाख्तगी कार्यवाही अभियुक्तगण के संदर्भ में नहीं करायी गयी है तथा क्यों नहीं करायी गयी, इसके संदर्भ में मात्रभर भी स्पष्टीकरण न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है। न्यायालय के मत में उक्त का भी प्रतिकूल प्रभाव अभियोजन मामले पर पड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि उपरोक्त विवेचनानुसार प्रकरण में हुआ अनुसंधान गंभीर रूप से दूषित प्रकट हुआ है।

23. उपरोक्त के अतिरिक्त प्रकरण का अन्य गवाह पी०ड०7 जोकि गिरफ्तारी का साक्षी है, जिसके द्वारा न्यायालय के समक्ष मुख्य परीक्षण में जाहिर किया गया है कि वह दिनांक 09.08.2013 को पुलिस थाना रामगढ में कानि के पद पर तैनात था। उस दिन पाबूदान सिंह एएसआई कानि रघुवीर सिंह के साथ वह स्टेशन रोड रामगढ से मुलजिम ओमप्रकाश को जरिये फर्द गिरफतार किया गया। जो प्र0 पी 03 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। इसके अतिरिक्त प्रतिपरीक्षण में गवाह ने जाहिर किया है कि यह कहना सही है कि मुलजिम की गिरफतारी की सूचना मुलजिम के किस परिवारजन को दी गई आज याद नही है। गिरफतारी पर उसके सामने प्राइवेट व्यक्तियों के साइन नही करवाये गये थे। गिरफतारी पर किसी प्राइवेट आदमी से साइन करने के लिए कहा था या नही आज याद नही है। उक्त गवाह के उपरोक्त कथनों से गवाह मात्र अभियुक्त ओमप्रकाश की गिरफ्तारी का साक्षी होना प्रकट होता है, जिसके द्वारा उसके समक्ष की गयी औपचारिक कार्यवाही का उल्लेख न्यायालय के समक्ष किया गया है।

24. उपरोक्त के अतिरिक्त प्रकरण का अन्य महत्वपूर्ण गवाह पी०ड०8 है, जोकि प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है, के द्वारा न्यायालय के समक्ष उसके प्रकरण में की गयी कार्यवाही का उल्लेख किया गया है, परंतु उल्लेखनीय है कि प्रतिपरीक्षण में गवाह द्वारा अभियुक्त कासिद उर्फ कासिम को मुस्तगिस द्वारा मौके पर मय ट्रेक्टर पकड़ना जाहिर किया गया है, परंतु उल्लेखनीय है कि प्रकरण के परिवादी स्वयं द्वारा उक्त तथ्य से भिन्न कथन न्यायालय के समक्ष किये गये हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिपरीक्षण में गवाह द्वारा अभियुक्त के दूसरे साथी का थाने पर स्वयं आना व उसे थाने से गिरफ्तार करना जाहिर किया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त गवाह के कथनों से ऐसा कोई ठोस व सुसंगत तथ्य न्यायालय के समक्ष नहीं आता है, जिससे अभियुक्त द्वारा चोरी करना या उसके पास से चोरी हुआ सामान जब्त होना युक्तियुक्त संदेह से प्रमाणित हो सकता है। उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी व अभियोजन मामलेनुसार अभियुक्त ओमप्रकाश को अभियुक्त कासिद के कथनों के आधार पर बतौर अभियुक्त संलिप्त किया जाना प्रकट होता है, परंतु उल्लेखनीय है कि सहअभियुक्त से दौराने अनुसंधान प्राप्त कथनों के आधार पर जुर्म प्रमाणित होना तथा उक्त कथन साक्ष्य में ग्राही होना विधिनुसार कतई संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त ओमप्रकाश से बरामद धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रदर्श

पी० 7 व पी० 8 के आधार पर हस्तगत प्रकरण से संबंधित किसी प्रकार का कोई माल वजह सबूत भी बरामद नहीं किया गया है। ऐसे में न्यायालय के मत में अभियुक्त ओमप्रकाश का हस्तगत प्रकरण से संबंधित अपराध में संलिप्त होना युक्तियुक्त संदेह से परे उपरोक्त साक्ष्य सामग्री के आधार पर कतई संभव नहीं है।

25. ऐसे में प्रकरण में अधिकतर स्वतंत्र साक्षियों द्वारा अभियोजन मामले की ताईद ना कर उससे गंभीर विरोधाभासी कथन न्यायालय के समक्ष करने से तथा परिवादी व पुलिस गवाहान के कथनों से अभियुक्त द्वारा प्रश्नगत चोरी कारित किया जाना प्रमाणित होता प्रकट नहीं होता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण में रही कमियां जैसे कि प्रश्नगत वाहन के असल दस्तावेजात प्रदर्शित व प्रमाणित नहीं कराने के, शिनाख्तगी कार्यवाही नहीं कराने के, अभियुक्त ओमप्रकाश को प्रकरण में बतौर अभियुक्त संलिप्त करने के, अनुसंधान दूषित प्रकट होने के, तहरीरी रिपोर्ट व पुलिस बयानों में गवाहान द्वारा न्यायालय के समक्ष किये गये कथनों से भिन्न कथन किये होने के तथा प्रकरण में बनायी गयी फर्द बरामदगी प्रदर्श पी० 1 पर बावजूद गिरफ्त में होने अभियुक्त कासिद उसके साइन नहीं होने के एवं बाद पंजीकरण एफआईआर अभियुक्त को गिरफ्तार करने से पूर्व प्रकरण में बरामदगी प्रदर्श पी० 1 बनाये जाने के संबंध में कोई ठोस कारण पेश नहीं किया गया है। ऐसे में परीक्षित साक्षियों के कथनों से अभियोजन कहानी की ताईद नहीं होती है। दांडिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन को अपना पक्ष विश्वसनीय व सुदृढ साक्ष्य के जरिये संदेह से परे प्रमाणित करना होता है तथा संदेह का लाभ सदैव अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। पूर्वोक्त साक्ष्य के विवेचन से अभियुक्त ओमप्रकाश द्वारा दिनांक 07-08-2013 को रात्रि में किसी समय दिल्ली रोड़ रामगढ़ में सहअभियुक्त के साथ मिलकर परिवादी के कब्जेशुदा ट्रैक्टर आरजे 02 आरए 7312 को उसके घर के सामने से उसकी सहमति के बिना उसके कब्जे से बेईमानी पूर्वक आशय से चुरा ले जाकर चोरी कारित करना, प्रमाणित होना प्रकट नहीं होता है। ऐसे में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्व आरोपित अपराध को युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णरूप से असफल होना प्रकट होता है। ऐसे में उक्त आरोपित अपराध में अभियुक्त को दोषसिद्व घोषित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

26. अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष अपना मामला अभियुक्त के विरुद्व पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। फलस्वरूप प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्वोक्त विचारणीय बिंदु के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर किए गए विनिश्चय के अनुसार अभियुक्त को धारा 379 भारतीय दंड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

27. एतद्द्वारा **अभियुक्त ओमप्रकाश पुत्र श्री रामजीलाल, उम्र 40 साल, निवासी आशासिंह कॉलोनी, थाना रामगढ़, जिला अलवर, राजस्थान** को धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता 1860 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

28. अभियुक्त की न्यायालय में उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है। अभियुक्त द्वारा धारा 437ए द.प्र.सं. के तहत जमानत मुचलके पूर्व में पेश किये जा चुके हैं। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन सुपुर्दगीदार के पास सुपुर्दगी पर है, जो उन्हीं के पास रहे।

29. **हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त कासिद उर्फ कासिम पुत्र श्री हनीफ मफरूर है, जिसके विरूद्ध प्रकरण में कार्यवाही अभी शेष है। ऐसे में पत्रावली के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से अभियुक्त कासिद उर्फ कासिम पुत्र श्री हनीफ के मफरूर होने से एवं प्रकरण में कार्यवाही शेष होने से पत्रावली का कोई भी भाग नष्ट नहीं किये जाने का नोट अंकित किया गया है।**

(नवीन सिंह गुर्जर)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रामगढ़, जिला अलवर

30. निर्णय आज दिनांक 17-04-2026 को विवृत्त न्यायालय में मुद्रांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।

(नवीन सिंह गुर्जर)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रामगढ़, जिला अलवर